



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

फोन: 0141-2227938, 2227947 फैक्स: 0141-2227360, 2227761

ई-मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, वैब: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी-89-90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287 / 2018 / 39

दिनांक: 20.12.2018

एस.बी.यू. एवं पी.सी.-लिग्नाईट, जयपुर कार्यालय पर कम्प्यूटर में डाटा फीडिंग का कार्य करने हेतु उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिकों की आवश्यकता हेतु ई-निविदा प्रपत्र

द्वारा

प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन-अनुबन्ध),
आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, एसबीयू एवं पीसी-लिग्नाईट,
खनिज भवन, जयपुर (राज.)

Period of online availability of Tender Document.	From 21.12.2018 to 11.01.2019 upto 11:30 A.M.
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	11.01.2019 upto 11:30 A.M.
Last date of physical deposition of EMD, Cost of Tender Document, Processing fees and requisite original Documents/Affidavits etc. with duly filled TD.	11.01.2019 upto 5:30 P.M.
Online opening of Bid (Part-I).	On 14.01.2019 at 3:30 P.M.

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी-89-90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर-302 015 (राज.) फोन : 0141-2743734 फैक्स : 0141-2743735	कॉर्पोरेट ऑफिस : 4, मीरा मार्ग, उदयपुर-313 001 (राज.) फोन : (0294) 2527211, 2428763-67 फैक्स : (0294) 2428770, 2428739 (CIN No. U14109RJ1949SGC000505)	एसबीयू एवं पीसी - लिग्नाईट खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर -302 005 (राज.) फोन : 0141-2227949, 2227627 फैक्स : 0141-2227761
--	--	---



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन: 0141-2227938, 2227947 फैक्स: 0141-2227360, 2227761

ई-मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, वेब: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस: सी-89-90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर (राज.)

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287/2018/39

दिनांक: 20.12.2018

विस्तृत ई-निविदा सूचना

एसबीयू एवं पीसी-लिग्नाईट, जयपुर कार्यालय में कार्यालय में कार्य करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों की सेवायें उपलब्ध करवाने के इच्छुक विनिर्दिष्टित बोलीदाताओं/संवेदकों, जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर) तथा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत व अनुभवी हों, से, वार्षिक/मासिक दर जो कि राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष, 1948) द्वारा अधिसूचित हैं पर कार्य करने के लिये ऑन-लाईन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	बयाना राशि एवं कार्य अवधि
1. कम्पनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु श्रमिकों की संख्या लगभग 03 ।	रुपये 3.38 लाख	रुपये 6800/- (डी.डी. द्वारा) एक (01) वर्ष

Cost of tender document is Rs.590/- (Inclusive of GST) by Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque, in favour of "RSMM Ltd." Payable at Jaipur.

Processing Fee.	Rs. 500/- payable by D.D. in favour of M.D., RISL, payable at Jaipur.
Period of online availability of TD.	From 21.12.2018 to 11.01.2019 upto 11.30 AM
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	11.01.2019 upto 11.30 AM
Last date of physical deposition of EMD, Cost of TD, Processing fees and requisite original Documents/ Affidavits etc. with duly filled TD.	11.01.2019 upto 05.30 PM
Online opening of Bid (Part-I).	14.01.2019 at 03.30 PM

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए प्रि-क्वालिफाइड किया जावेगा:

निविदाकर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 0.85 लाख का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2015-16, 2016-17 अथवा 2017-18 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है ।

ई-निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई-निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि www.rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है । इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन-अनुबन्ध) से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

ई-निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 11.01.2019** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में **सांय 05:30** बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई-निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओं को भिजवायी जावेगी ।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, किसी भी प्रकार से निविदा प्राप्ति में देरी अथवा विलम्ब के बारे में दावा मान्य नहीं होगा । कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन-अनुबन्ध)

नोट : निविदाकार को सलाह दी जाती है कि निविदा में किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के लिए निविदा की देय तिथि देय तिथि तक हमारी वेबसाइट / देखें ।



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट,

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर -302005 (राज.)

फोन: 0141-2227938, 2227947 फैक्स: 0141-2227360, 2227761

ई-मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, वेब: www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस: सी-89-90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287/2018/39

दिनांक: 20.12.2018

ई-निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तें

1.0 कार्य एवं कार्य क्षेत्र :-

- 1.1 एस.बी.यू. एवं पी.सी.-लिग्नाईट, जयपुर स्थित कार्यालय में डाटा फीडिंग का कार्य करने हेतु उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिक (कामगार) उपलब्ध कराने हेतु ऑन-लाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ।
- 1.2 राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, एस.बी.यू. एवं पी.सी.-लिग्नाईट कार्यालय जो कि खनिज भवन, तिलक मार्ग में स्थित है पर कार्यालय समय में कम्प्यूटर्स पर कार्य करने हेतु उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों (कामगारों) की आवश्यकता है जो कि कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर पर डाटा फीडिंग का कार्य ।

2.0 कार्य अवधि :-

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से या निर्धारित तिथि से **एक (01) वर्ष** के लिए होगा । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत कार्य की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएमएल के पास होगा ।

3.0 निविदा दरों की मान्यता :-

निविदा की दरें निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक मान्य होंगी ।

4.0 पात्रता :-

- 4.1 इच्छुक विनिर्दिष्टित बोलीदाताओं/संवैदक को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत व अनुभवी होना आवश्यक है एव निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 0.85 लाख का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2015-16, 2016-17 अथवा 2017-18 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है ।
- 4.2 कार्य के लिये उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक/व्यक्ति को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का समुचित ज्ञान के साथ कम्प्यूटर प्रोग्राम की समुचित जानकारी होना भी आवश्यक है ।

5.0 बयाना राशि (बोली प्रतिभूति):-

- 5.1 निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित बयाना राशि रुपये 6800/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जो कि आर.एस.एम.एम.लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना आवश्यक है ।

- 5.2 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई-पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमि. के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Name of Bank	Axis Bank	ICICI Bank	HDFC Bank
Bank Location	Malviya Nagar, Jaipur	Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur	Aditya Tower, New Sanganer Road, Jaipur
Type of Account	C.D.	C.D.	C.D.
C.D. Account No.	910020036634989	678605000722	18437630000803
IFSC Code	UTIB 0000626	ICIC 0006786	HDFC 0001843

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति ई-निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

- 5.3 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।
- 5.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 5.5 असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य का आदेश दिये जाने एवं उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात लौटा दी जाएगी ।
- 5.6 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।
- 5.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नहीं करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
- 5.8 निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है:-
- यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।
 - यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।
 - यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाँछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।
 - यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।
 - यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये हैं ।
 - यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है ।

6.0 धरोहर राशि :-

- 6.1 धरोहर राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की पाँच (5%) प्रतिशत होगी ।
- 6.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ई-पेमेन्ट के द्वारा कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।
- 6.3 अगर संविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।
- 6.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर/बयाना राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।
- 6.5 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
- 6.6 धरोहर राशि का पुर्नभुगतान अनुबन्ध (मय बढ़ाई गई अवधि यदि हो तो) की समाप्ति के

सामान्यतः 06 (छः) माह पश्चात् कर दिया जायेगा, बशर्ते कि (i) निविदाकर्ता द्वारा कामगारों/श्रमिकों का वेतन, पी.एफ. इत्यादि का भुगतान किया जा चुका हो, (ii) निविदाकर्ता को कम्पनी द्वारा दिये गये साजो-सामान जो उसे आरएसएमएमएल द्वारा जारी किये गये हों, अधिकृत अधिकारी को सौंप दिये गये हों, (iii) निविदाकर्ता ने अनुबन्ध समाप्ति पर कोई बकाया नहीं, कोई दावा नहीं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, एवं (iv) निविदाकर्ता ने इनडेमनिटी बॉण्ड (Indemnity Bond) नियमानुसार प्रस्तुत कर दिया हो ।

7.0 ई-निविदा प्रक्रिया:

- 7.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर ईलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 7.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं ।
- 7.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा **तत्पश्चात्** ही ई-निविदा को ऑन-लाईन भरने के लिए पात्र होंगे ।
- 7.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई-निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट-2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई-निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी ।
- 7.5 डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा ।
- 7.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन-लोड किया जावेगा ।
- 7.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।
- 7.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित ई-निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) जमा कराई है।
- 7.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई-निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है । उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई-निविदा मान्य नहीं होगी ।
- 7.10 निविदाकर्ता उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार वांछित मूल पत्रों को प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन-अनुबन्ध), एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट, जयपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेंगे । इन पत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ-साफ अक्षरों में अंकित करेगा । निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में या किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 7.11 ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी । निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 1,180/- तथा निर्धारित बयाना राशि ई-पेमेन्ट/डी.डी./बी.सी. द्वारा आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के पक्ष में देय है।
- 7.12 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी./बी.सी./ई-पेमेन्ट जमा के बाबत् रेफरेन्स आई.डी., प्रबन्धक(पीएण्डए-अनुबन्ध), एसबीयू एवं पीसी- लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय में निविदा में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रपत्र को

निरस्त माना जावेगा ।

7.14 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

8.0 ई-निविदा प्रपत्र दो भागों में भरा जायेगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :-

प्रथम भाग - तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part) - परिशिष्ट 'य'

द्वितीय भाग - कार्य की दरें (Rate Part / BOQ) - परिशिष्ट 'द'

8.1 प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ट-(य) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

(अ) वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई-पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण ।

(ब) नाम, पता, ई-मेल, टेलिफोन नं०, मोबाइल नं., फ़ैक्स नं० इत्यादि की जानकारी ।

(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।

(द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।

ii) नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ट-(अ) में प्रस्तुत करना ।

iii) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ट-(ब) के अनुसार देनी होगी ।

iv) राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम-1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।

v) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम-1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।

vi) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।

vii) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट-1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट-1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।

viii) गत तीन वर्षों (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18) की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट्स की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियां ।

ix) अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियां (यदि हों तो) ।

x) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ट-(स) के अनुसार घोषणा ।

xi) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ट संलग्न किये हैं:-

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1

Annexure D: Additional Conditions of Contract.

नोट- Annexure B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है ।

8.2 द्वितीय भाग - कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)

कार्य की दरें ऑन-लाईन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध ई-निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें ।

- कार्य की दरें ऑन-लाईन निविदा भरने का प्रोफॉर्मा परिशिष्ट-(द) के अनुसार है। निविदाकर्ता इस परिशिष्ट BOQ को वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेंगे। किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे दर प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रथम तकनीकी-वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा।

9.0 निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश:

- 9.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा। उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लॉज 10.0 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 9.2 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति सात (07) दिवस में लिखित में देनी होगी।
- 9.3 कार्य आदेश के जारी होने या निर्धारित तिथि से कार्यारम्भ करना होगा। बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी।
- 9.4 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा।
- 9.5 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।
- 9.6 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा। संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होंगे। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का मूल्य कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. (34)जन/2017-18/8435 दिनांक 01.06.2018 के अनुसार होगा।

10.0 नेगोशियेशन :-

- 10.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L₁) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर ऑफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₂) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₃) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर ऑफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है।
- 10.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

10.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

11.0 कर एवं

- i) निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरो में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागु हो। प्रस्तुत दरे कार्य अविधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं निविदा में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।
- ii) वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी । इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा ।
- iii) यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कंपनी कांट्रेक्टर को देय बिल / सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।
- iv) कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पेनेल्टी लगने की परिस्थिती में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा , यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती / समायोजित कर सकती है ।
- v) निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के ड्यूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोड़कर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।
- vi) अगर निविदा भरने के बाद कर एवं ड्यूटी बढ़ती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं ड्यूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं ड्यूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबंधकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

12.0 बिलों का भुगतान:

- 12.1 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।
- 12.2 महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह के प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- 12.3 साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट-पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।
- 12.4 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

13.0 कार्य में नियोजित कामगार :-

- 13.1 निविदाकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु नियोजित कामगारों की सूचना संलग्न परिशिष्ट संख्या 'अ' में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी को लिखित

रूप में देनी होगी। कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी प्रस्तुत करना होगा।

- 13.2 निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगार योग्य, वयस्क, स्वस्थ विशेषतः चर्म रोग या ऐसी कोई संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य आरम्भ करने से पूर्व देना होगा।
- 13.3 सभी नियुक्त कामगार मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित व साफ सुथरी वर्दी में होना आवश्यक है।
- 13.4 सामान्यतः कामगारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिवर्तन करने पर उसकी सूचना परिशिष्ट 'अ' में देनी अनिवार्य होगी।
- 13.5 यदि कोई भी कामगार अनुशासनहीनता या कम्पनी कार्य में दखलंदाजी या किसी प्रकार की हानि करते पाया गया तो निविदाकर्ता को ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा।
- 13.6 नियुक्त कोई भी कामगार बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। ऐसे पदार्थ का सेवन किये हुए/करते हुए पाये जाने पर ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा। इससे होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जाएगी।
- 13.7 कामगारों को वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा देय होगा। वेतन भुगतान आदि से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रतिमाह कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। अगर निविदाकर्ता अपने कामगारों का भुगतान नहीं करता है तो कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों अथवा अमानत राशि में से कटौती करके ऐसे कामगारों को देय मासिक वेतन का भुगतान अपने स्तर पर करें।

14.0 निविदाकर्ता के सामान्य दायित्व :-

- 14.1 निविदाकर्ता पर नियोजित कामगारों का वेतन-भुगतान, सुरक्षा, अनुशासन इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कामगारों के कृत्यों के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।
- 14.2 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से सम्बन्धित सभी वैधानिक नियम व उप-नियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उप नियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाएँ, की भी अनुपालना निविदाकर्ता द्वारा की जायेगी।
- 14.3 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों ओर कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कामगारों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी से सम्बन्धित भुगतान करने के लिए स्वयं बाध्य होगा।
- 14.4 सफल निविदाकर्ता कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा।
- 14.5 संविदा लागू होने की स्थिति में निविदाकर्ता को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा। निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा। कम्पनी (आर.एस.एम.एम.एल.) के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का

1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । निविदाकर्ता के द्वारा चूक होने की स्थिति में कम्पनी को वह राशि निविदाकर्ता की ओर से जमा करानी होगी अतः निविदाकर्ता उस राशि का कम्पनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी निविदाकर्ता की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । निविदाकर्ता ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को निविदाकर्ता उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

15.0 निविदाकर्ता के विशेष दायित्व (राज्य सरकार के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार) :-

- (i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा ।
- (ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे । पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्रस्तुत की जायेगी ।
- (iii) यदि किसी उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी । ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी ।
- (iv) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का न्यूनतम अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा । संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था (आर. एस.एम.एम.एल.) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा ।
- (v) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा ।
- (vi) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को बढ़ी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
- (vii) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक को अंशदान शामिल होगा ।

संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।

- (viii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **Display Boards** लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु **Helpline** नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
- (ix) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- (x) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- (xi) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (xii) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (xiii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- (xiv) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (xv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
- (xvi) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक

को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।

(xvii) संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

16. **स्थानीय कार्यालय:**

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय जिला मुख्यालय जयपुर, बाड़मेर एवं नागौर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो। ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी संविदाकार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कंपनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है।

17.0 **जुर्माना (Penalty) :**

- i. कार्य को निर्धारित अवधि में शुरू नहीं कर पाने की दशा में कंपनी द्वारा वार्षिक अनुबंध राशि का 0.5 % राशि का जुर्माना साप्ताहिक लिया जायेगा यदि ये जुर्माना राशि 2 % से ऊपर चली गयी तब कंपनी स्वविवेक से निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यदेशों को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर सकती है।
- ii. निविदाकर्ता को किसी कार्य दिवस पर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं करवाने पर उस कार्यदिवस का भुगतान नहीं होगा इसके अतिरिक्त 500 रुपये प्रति ऑपरेटर प्रति दिवस के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में लिया जायेगा। इस बाबत इंजीनियर इन चार्ज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बाध्य होगा।
- iii. यदि ऐसा पाया जाता है की ऑपरेटर द्वारा इंजीनियर इन चार्ज द्वारा दिया गया कार्य का निस्पदान निविदा के अनुसार नहीं करा गया है तो कंपनी द्वारा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 500 रूपए प्रति दिन अतिरिक्त लिए जायेंगे।
- iv. यदि निविदाकर्ता द्वारा कार्य का संचालन निविदा की शर्तों के अनुसार नहीं करा गया तब कंपनी द्वारा उस दिन का भुगतान देय नहीं होगा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा 1000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी।
- v. सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में/कार्य न करने की दशाओं में/कार्य में देरी करने की स्थिति में कंपनी अपने अधिकार/विवेक/मर्जी से किसी और सेवाप्रदाता से उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त, अनुबंधकर्ता के खर्च एवं जोखिम पर कार्य करवाने का अधिकार रखती है एवं ऐसी स्थिति में कंपनी अनुबंधकर्ता से अन्तर की राशि, जो कि अन्य सेवाप्रदाता उपलब्ध कराने में लगी है, को प्राप्त करने का अधिकार रखती है एवं अमानत राशि में से कटौती का अधिकार रखती है।
- vi. जुर्माना देने से/कंपनी द्वारा कटौती करने परिस्थिति में भी अनुबंधकर्ता को अनुबंध के दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकेगा एवं अनुबंध के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा।
- vii. जुर्माना राशि पर देय वस्तु एवं सेवा कर की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की रहेगी।

18.0 **संविदाकर्ता द्वारा अपील करना :-**

यदि संविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.) है व द्वितीय अपील अधिकारी खान

विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन संलग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

19.0 **न्याय क्षेत्र :-**

इस अनुबन्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही रहेगा।

20.0 **अनुबन्ध की समाप्ति :-**

अनुबन्ध को कम्पनी द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ता द्वारा बिना नोटिस दिये यदि अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो, इस अनुबन्ध समाप्ति पर कम्पनी प्रबन्धन निविदाकर्ता की जोखिम व लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी किसी भी लागत को निविदाकर्ता के बकाया बिल, अमानत राशि में से समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगी। समायोजन के पश्चात् भी कोई राशि शेष वसूल की जानी है तब ऐसी राशि विधिक प्रक्रिया द्वारा निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी।

घोषणा

मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रकार की शर्त इत्यादि संलग्न नहीं है एवं ऐसी किसी शर्त के पाये जाने पर उसे वापस लिया माना जावे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक

निविदाकर्ता का नाम

पता

.....

टेलिफोन नम्बर



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट,

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर -302005 (राज.)

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287/2018/39

दिनांक: 20.12.2018

निविदा/बोली की विशिष्ट शर्तें

1. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।
2. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
3. बोलीदाता/सेवेदक/सेवा प्रदाता को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉरपोरेशनों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्मिक उपलब्ध करवाने के अनुभव प्रमाण पत्र/आदेशों/अनुबन्ध की प्रतियां बोली के तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड करनी होगी।
4. निविदाकार के पास स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही दी गई निविदा/बोली मान्य होगी। संस्था का स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक है।
5. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किया जाने की स्थिति में पावर ऑफ अटोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा/बोली स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे, तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृत निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. सफल सेवाप्रदाता/बोलीदाता/सेवेदक कार्मिकों को विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हटा सकेगा परन्तु आर.एस.एम.एम.एल. प्रशासन/सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को हटाने हेतु सक्षम हैं, परन्तु हटाये गये कार्मिक की जगह अन्य कार्मिक मांगने पर सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्यकारी होगा।
7. प्रत्येक कर्मकार को श्रम विभाग के अनुसार एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देय होगा।
8. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मकार को देय मानदेय की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर सप्ताह में एक अवकाश देते हुए उपस्थिति संख्या के आधार पर अधिकतम 26 दिवस का ही भूगतान किया

जायेगा जो मासिक मानदेय कहलायेगा। बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

9. यदि अनुबन्धित फर्म एवं जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अनुबन्धित फर्म द्वारा जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी वा दायित्व अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।
12. प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सभी कर्मकारों को बैंक खाते द्वारा भुगतान करना होगा। देरी से भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर बिल की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा शास्ति के रूप में काटी जा सकती है।
13. अनुबन्धित फर्म द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ करवाने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इसके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मेदार होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अनुबन्धित फर्म के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन (निविदा/बोली जारी होने की दिनांक से पूर्व के दो माह तक के) हो उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन की सूची में सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी कार्मिक को विरुद्ध आपराधिक/न्यायिक मामला चल रहा है तो उस कार्मिक को अनुबन्धित फर्म आर.एस.एम.एम. लिमिटेड में उपलब्ध नहीं करायेगा।
14. अनुबन्धित फर्म द्वारा यदि संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य के एक कार्य बिन्दु पर कार्य कम हुआ हो तो कर्मकार से अन्य कार्य बिन्दुओं पर सेवायें ली जा सकती हैं।
15. अनुबन्ध की अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय कितनी भी अवधि वं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हड़ताल की जाती है तो यह अनुबन्धित फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए रूपये 5000/- तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।
16. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

17. विवाद की स्थिति में आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता/संवेदक को मान्य होगा।
18. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।
19. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनायी रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

संवेदक/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

नियोजित कामगार के विवरण हेतु प्रपत्र

कर्मचारी का फोटो

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति का नाम व पता
7. शैक्षणिक योग्यता
8. अनुभव
9. पद

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मोहर

दिनांक.....

Undertaking

I/We in respect of submission of tender to the RSMML Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.
2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMML Ltd. in past for any reason/default.
3. No Legal case is pending with RSMML.

()
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

(On the letter head of the tenderer)

DECLARATION

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006. _____(Yes/No).
2. If yes, please furnish the declaration given below.

We _____ (Name _____) of
Tenderer _____), hereby
declare that, our organization is registered under Micro, Small &
Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____
(Micro, Small & Medium) Enterprises.
3. Enclose attested copy of registration certificate.
4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:

Place:



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287 / 2018 / 39

दिनांक: 20.12.2018

द्वितीय भाग

दर प्रस्ताव (Rate Part-BOQ)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑन-लाईन BOQ में ही भरना होगा, निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्शाया गया है :-

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या (उच्च कुशल)	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिशत	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	कम्पनी की बाइमेर । कम्पनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु श्रमिक ।	03	रू. 7358/-		12%	4.75%		

नोट :

- उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 4 एवं 6 व 7 की पूर्तियां संस्था द्वारा की गई है। बोलीदाता द्वारा स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही समुचित प्रविष्टियां की जानी हैं।
- संवेदक द्वारा BOQ में ही ऑन-लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी।
- अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी।
- उपरोक्त दर में **जी.एस.टी. को शामिल नहीं किया गया है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगा।**
- उपरोक्त कार्य के लिये मासिक आधार पर प्राप्त दर प्रस्ताव ही मूलतः न्यूनतम दर का प्रस्ताव माना जाएगा।
- उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर _____

निविदाकार का नाम व पद _____

पता

टेलिफोन नं० _____

दिनांक _____



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

ई-निविदा संख्या: एफ.8(2)287 / 2018 / 39

दिनांक: 20.12.2018

प्रथम भाग तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या व राशि ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फ़ैक्स/ ई-मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये ।	हाँ / नहीं
5.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम-1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम अधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ / नहीं
6.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम-1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम अधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ / नहीं
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम अधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ / नहीं
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट-1932/इण्डियन कम्पनी एक्ट-1956 के अन्तर्गत जारी सक्षम अधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ / नहीं
9.	जी.एस.टी. नं. की प्रति ।	हाँ / नहीं
10.	पेन (PAN) नं. की प्रति ।	हाँ / नहीं
11.	RTPP Act 2012 के अनुसार Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा ।	हाँ / नहीं
12.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब-साईट से डाउन-लोड किया है तो निविदा प्रपत्र के शुल्क का विवरण ।	डीडी नं.....रु.....दि.....

दिनांक :
संलग्न :-

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तों हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर



राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

*Managing Director,
RSMM Limited,
4, Meera Marg, Udaipur (Raj.)*

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary Mines,
Mines Department,
Government of Rajasthan, Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of
Before the(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
 2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 6. Ground of appeal :
.....
.....(Supported by an affidavit)
 7. Prayer:
.....
.....
- Place
Date
Appellant's Signature



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award
(In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

* * * * *